

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 09, बुधवार, शाके 1948- अप्रेल 29, 2026 Vaisakha 09, Wednesday, Saka 1948- April 29, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, दिसम्बर 23, 2025

क्रम संख्या:- प. 2(19) वन/2025 :-चूँकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखाई गई वन भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन उपज उसके किसी अंश की स्वतधारी (Entitled)है।

और चूँकि सरकार उपर्युक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 की धारा 29 उप धारा (1)के अन्तर्गत रक्षित वन (Protected Forest)घोषित करने का विचार रखती है।

और चूँकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकार या वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप के संबंध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है परन्तु चूँकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा। इस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका है।

इसलिए अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, 1953 (1953 की एक्ट संख्या 3)की धारा 29 की उप धारा (3) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेंट आफिसर/असिस्टेंट अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेख तथा साक्ष्य प्रणाली में किया जावेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा 6, 7, 8, 9, 10, 11, (1), 13, 14, 17, 18, तथा 19 में प्रवाहित है।

और उक्त एक्ट की धारा 29 की उप धारा (3) में परन्तुक द्वाराप्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरा में राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेख सम्पादित होने तक उक्त वन भूमि और बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है,परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और सरकार उक्त एक्ट की धारा 30द्वाराप्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन के वह वृक्ष जो संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं,राजपत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) है और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन

में पत्थरों को हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहित किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशुपालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूचि (वन भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूचि (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,

बीजो जाँय,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची

क्र. सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	ग्राम का नाम	विवरण				
1	2	3	4	5	6	7				
1	3 ND (ब्लॉक ए)	अनूपगढ़	गंगानगर	उत्तर में राज. सरकार निजी भूमि मु.न. <u>252</u> व <u>251</u> व <u>250</u> 480 481 482 <u>249</u> व <u>248</u> 482 482 दक्षिण में वन विभाग मु.न. <u>253</u> व <u>252</u> व <u>251</u> 484 484 484 <u>250</u> व <u>249</u> व <u>248</u> 484 484 484 पूर्व में वन विभाग मु.न. <u>247</u> 483 पश्चिम में निजी भूमि मु.न. <u>253</u> व <u>253</u> व <u>254</u> 481 482 483	3 ND (ब्लॉक ए)	क्र. सं.	प. न./ मु. न.	भूमि कि. न. /ख. न.	रकबा हैक्टेयर में	भूमि किस्म
						1	248/ 483 48	1	0.2530	(अ.क.)
								2	0.2530	(अ.क.)
								3	0.2530	(अ.क.)
								4	0.2530	(अ.क.)
								5	0.2530	(अ.क.)
								6	0.2530	(अ.क.)
								7	0.2530	(अ.क.)
								8	0.2530	(अ.क.)
								9	0.2530	(अ.क.)

								10	0.2530	(अ.क.)
								11	0.2530	(अ.क.)
								12	0.2530	(अ.क.)
								13	0.2530	(अ.क.)
								14	0.2530	(अ.क.)
								15	0.2530	(अ.क.)
								16	0.2530	(अ.क.)
								17	0.2530	(अ.क.)
								18	0.2530	(अ.क.)
								19	0.2530	(अ.क.)
								20	0.2530	(अ.क.)
								21	0.2530	(अ.क.)
								22	0.2530	(अ.क.)
								23	0.2530	(अ.क.)
								24	0.2530	(अ.क.)
								25	0.2530	(अ.क.)
							योग - कुल किता 25	6.3250	(अ.क.)	
						2	249/ 483 47	1	0.2530	(अ.क.)
								2	0.2530	(अ.क.)
								3	0.2530	(अ.क.)
								4	0.2530	(अ.क.)
								5	0.2530	(अ.क.)
								6	0.2530	(अ.क.)
								7	0.2530	(अ.क.)
								8	0.2530	(अ.क.)
								9	0.2530	(अ.क.)
								10	0.2530	(अ.क.)
								11	0.2530	(अ.क.)
								12	0.2530	(अ.क.)

							13	0.2530	(अ.क.)
							14	0.2530	(अ.क.)
							15	0.2530	(अ.क.)
							16	0.2530	(अ.क.)
							17	0.2530	(अ.क.)
							18	0.2530	(अ.क.)
							19	0.2530	(अ.क.)
							20	0.2530	(अ.क.)
							21	0.2530	(अ.क.)
							22	0.2530	(अ.क.)
							23	0.2530	(अ.क.)
							24	0.2530	(अ.क.)
							25	0.2530	(अ.क.)
							योग - कुल किता 25		6.3250 (अ.क.)
						3	50/483 46	1/1	0.2020 (अ.क.)
							2	0.2530	(अ.क.)
							3	0.2530	(अ.क.)
							4	0.2530	(अ.क.)
							5	0.2530	(अ.क.)
							6	0.2530	(अ.क.)
							7	0.2530	(अ.क.)
							8	0.2530	(अ.क.)
							9	0.2530	(अ.क.)
							10/ 2	0.2530	(अ.क.)
							11/ 1	0.2020	(अ.क.)
							12	0.2030	(अ.क.)
							13	0.2530	(अ.क.)
							14	0.2530	(अ.क.)
							15	0.2530	(अ.क.)

							16	0.2530	(अ.क.)
							17	0.2530	(अ.क.)
							18	0.2530	(अ.क.)
							19	0.2530	(अ.क.)
							20/ 2	0.2530	(अ.क.)
							21/ 1	0.2020	(अ.क.)
							22	0.2030	(अ.क.)
							23	0.2530	(अ.क.)
							24	0.2530	(अ.क.)
							25	0.2530	(अ.क.)
							योग - कुल किता 25		6.0720 (अ.क.)
						4	251/ 482 37	1 0.2530	(अ.क.)
							2	0.2530	(अ.क.)
							3	0.2530	(अ.क.)
							4	0.2530	(अ.क.)
							5	0.2530	(अ.क.)
							6	0.2530	(अ.क.)
							7	0.2530	(अ.क.)
							8	0.2530	(अ.क.)
							9	0.2530	(अ.क.)
							10	0.2530	(अ.क.)
							11	0.2530	(अ.क.)
							12	0.2530	(अ.क.)
							13	0.2530	(अ.क.)
							14	0.2530	(अ.क.)
							15	0.2530	(अ.क.)
							16	0.2530	(अ.क.)
							17	0.2530	(अ.क.)

						21	0.2530	(अ.क.)
						22	0.2530	(अ.क.)
						23	0.2530	(अ.क.)
						24	0.2530	(अ.क.)
						25	0.2530	(अ.क.)
						योग - कुल किता 25	6.3250	(अ.क.)
					6	252/48 1 29	1/1 0.2280	(अ.क.)
						2	0.2530	(अ.क.)
						3	0.2530	(अ.क.)
						4	0.2530	(अ.क.)
						5	0.2530	(अ.क.)
						6	0.2530	(अ.क.)
						7	0.2530	(अ.क.)
						8	0.2530	(अ.क.)
						9	0.2530	(अ.क.)
						10/ 1	0.2280	(अ.क.)
						11/ 1	0.2280	(अ.क.)
						12	0.2530	(अ.क.)
						13	0.2530	(अ.क.)
						14	0.2530	(अ.क.)
						15	0.2530	(अ.क.)
						16	0.2530	(अ.क.)
						17	0.2530	(अ.क.)
						18	0.2530	(अ.क.)
						19	0.2530	(अ.क.)
						20/ 1	0.2280	(अ.क.)
						21/ 1	0.2270	(अ.क.)
						22	0.2530	(अ.क.)

							23	0.2530	(अ.क.)
							24	0.2530	(अ.क.)
							25	0.2530	(अ.क.)
							योग - कुल किता 25	6.1990	(अ.क.)
						7	52/482 38	1/1	0.2280 (अ.क.)
							2	0.2530	(अ.क.)
							3	0.2530	(अ.क.)
							4	0.2530	(अ.क.)
							5	0.2530	(अ.क.)
							6	0.2530	(अ.क.)
							7	0.2530	(अ.क.)
							8	0.2530	(अ.क.)
							9	0.2530	(अ.क.)
							10/ 2	0.2280	(अ.क.)
							11/ 2	0.2280	(अ.क.)
							12	0.2530	(अ.क.)
							13	0.2530	(अ.क.)
							14	0.2530	(अ.क.)
							15	0.2530	(अ.क.)
							16	0.2530	(अ.क.)
							17	0.2530	(अ.क.)
							18	0.2530	(अ.क.)
							19	0.2530	(अ.क.)
							20/ 1	0.2270	(अ.क.)
							21/ 2	0.2280	(अ.क.)
							22	0.2530	(अ.क.)
							23	0.2530	(अ.क.)
							24	0.2530	(अ.क.)

							25	0.2530	(अ.क.)	
							योग- कुल किता 25	6.1990	(अ.क.)	
						8	252/48 3 44	1/2 0.2280	(अ.क.)	
								2	0.2530	(अ.क.)
								3	0.2530	(अ.क.)
								4	0.2530	(अ.क.)
								5	0.2530	(अ.क.)
								6	0.2530	(अ.क.)
								7	0.2530	(अ.क.)
								8	0.2530	(अ.क.)
								9	0.2530	(अ.क.)
								10/ 1	0.2270	(अ.क.)
								11/ 2	0.2280	(अ.क.)
								12	0.2530	(अ.क.)
								13	0.2530	(अ.क.)
								14	0.2530	(अ.क.)
								15	0.2530	(अ.क.)
								16	0.2530	(अ.क.)
								17	0.2530	(अ.क.)
								18	0.2530	(अ.क.)
								19	0.2530	(अ.क.)
								20/ 1	0.2280	(अ.क.)
								21/ 1	0.2280	(अ.क.)
								22	0.2530	(अ.क.)
								23	0.2530	(अ.क.)
								24	0.2530	(अ.क.)
								25	0.2530	(अ.क.)
							योग - कुल किता	6.1990	(अ.क.)	

						25		
					9	253/ 483 43	1	0.2530 (अ.क.)
							2	0.2530 (अ.क.)
							3	0.2530 (अ.क.)
							4	0.2530 (अ.क.)
							5	0.2530 (अ.क.)
							6	0.2530 (अ.क.)
							7	0.2530 (अ.क.)
							8	0.2530 (अ.क.)
							9	0.2530 (अ.क.)
							10	0.2530 (अ.क.)
							11	0.2530 (अ.क.)
							12	0.2530 (अ.क.)
							13	0.2530 (अ.क.)
							14	0.2530 (अ.क.)
							15	0.2530 (अ.क.)
							16	0.2530 (अ.क.)
							17	0.2530 (अ.क.)
							18	0.2530 (अ.क.)
							19	0.2530 (अ.क.)
							20	0.2530 (अ.क.)
							21	0.2530 (अ.क.)
							22	0.2530 (अ.क.)
							23	0.2530 (अ.क.)
							24	0.2530 (अ.क.)
							25	0.2530 (अ.क.)
						योग - कुल किता 25	6.3250	(अ.क.)
						(ब्लॉक ए) का	56.2940	(अ.क.)

1	3 ND (ब्लॉक बी)	अनूपगढ़	गंगानगर	उत्तर मे राज. सरकार मु.न. <u>254</u> 478 दक्षिण मे निजी भूमि मु. न. <u>254</u> 481 पूर्व मे राज. सरकार मु.न. <u>253</u> व <u>253</u> 479 480 पश्चिम मे निजी भूमि मु न <u>255</u> व <u>255</u> 479 480	3 ND (ब्लॉक बी)	कुलयोग 225			
						1	254/ 479 10	1	0.2530 नर्सरी
								2	0.2530 नर्सरी
								3	0.2530 नर्सरी
								4	0.2530 नर्सरी
								5	0.2530 नर्सरी
								6	0.2530 नर्सरी
								7	0.2530 नर्सरी
								8	0.2530 नर्सरी
								9	0.2530 नर्सरी
								10	0.2530 नर्सरी
								11	0.2530 नर्सरी
								12	0.2530 नर्सरी
								13	0.2530 नर्सरी
								14	0.2530 नर्सरी
								15	0.2530 नर्सरी
								16	0.2530 नर्सरी
								17	0.2530 नर्सरी
								18	0.2530 नर्सरी
								19	0.2530 नर्सरी
								20	0.2530 नर्सरी
								21	0.2530 नर्सरी
								22	0.2530 नर्सरी
								23	0.2530 नर्सरी
								24	0.2530 नर्सरी
								25	0.2530 नर्सरी
						योग - कुल किता 25		6.3250	नर्सरी
						2	254/48 0	1	0.2530 नर्सरी

						24			
							2	0.2530	नर्सरी
							3	0.2530	नर्सरी
							4	0.2530	नर्सरी
							5	0.2530	नर्सरी
							6	0.2530	नर्सरी
							7	0.2530	नर्सरी
							8	0.2530	नर्सरी
							9	0.2530	नर्सरी
							10	0.2530	नर्सरी
							11	0.2530	नर्सरी
							12	0.2530	नर्सरी
							13	0.2530	नर्सरी
							14	0.2530	नर्सरी
							15	0.2530	नर्सरी
							16	0.2530	नर्सरी
							17	0.2530	नर्सरी
							18	0.2530	नर्सरी
							19	0.2530	नर्सरी
							20	0.2530	नर्सरी
							21	0.2530	नर्सरी
							22	0.2530	नर्सरी
							23	0.2530	नर्सरी
							24	0.2530	नर्सरी
							25	0.2530	नर्सरी
						योग - कुल किता 25		6.3250	नर्सरी
						ब्लॉक (बी) का कुल योग 50		12.6500	हैक्टेयर
						ब्लॉक (ए) व (बी) का कुल		68.9440	हैक्टेयर

							महायोग कुल किता 275		
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--

श्यामलाल,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
घड़साना।

राकेश दुलार,
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

द्वितीय अनुसूची
आरक्षित वृक्ष

क्र.सं.	वानस्पतिक नाम	हिन्दी नाम
1	<i>Acacia Tortalis</i>	ईजराईल बबूल
2	<i>Acacia Nilotica</i>	देशी बबूल
3	<i>Zizyphusjhujhuba lam</i>	बेर
4	<i>Prosopis Cineraria</i>	खेजड़ी
5	<i>Capparis Decidna</i>	केर
6	<i>Aerua Tometosa</i>	सफेद/काली बुई
7	<i>Calotropis Procera</i>	आक
8	<i>Cenchrus Cilliaris</i>	धामण घास
9	<i>Leptadeniapyrotechnica</i>	खीप
10	<i>Zizyphus Nummularia</i>	झड़ बेर
11	<i>Saccharum Munja</i>	मूजा घास

श्यामलाल,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
घड़साना।

राकेश दुलार,
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर
परिशिष्ट "क"

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र
(जो लागू नहीं होता है उसे काट दें)

नाम वन खण्ड – 3 ND

नाम रेंज – घड़साना

नाम तहसील – अनूपगढ़

नाम वन मण्डल – श्रीगंगानगर

1. संलग्न प्रारूप में दर्शायी गई भूमि का वर्गीकरण वन विभाग हिस्सा-पूर्ण सा. विभागीय कि भूमि है जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 7 में विस्तृत रूप से किला नम्बर का विवरण दर्शाया गया है।
2. वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर वन विभाग द्वारा वन विकास कार्य करवाये गये इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नहीं हो रहा है।
3. वर्तमान में कुल क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया है। इसमें कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है।
4. भूमि पर वृक्षों झाड़ियों व घास का घनत्व 60 प्रतिशत है। इस वनखण्ड में वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है।
5. समीपवर्ती स्थित क्षेत्र काश्तकारों की भूमि है तथा चारों ओर सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में अंकित कर दिया गया है।
6. वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शों) संलग्न हैं एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप हैं। प्रस्तावित वन क्षेत्र की सीमा को नक्शों में लाल स्याही से इंगत किया गया है।
7. प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं किन्तु अब उल्लेखित वनक्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके ।
8. उक्त वन विभाग की भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।
9. उक्त वनखण्ड 3 ND (ब्लॉक ए) के मध्य से व पश्चिम से गैर मुमकिन रास्ता गुजर रहा है। रास्ते को विज्ञप्ति में शामिल नहीं किया गया है व रास्ते को लाल स्याही से अंकित किया गया है।
10. भूमि प्रकार के अनुसार वर्गीकरण वन विभाग हिस्सा-पूर्ण सा. विभागीय कि भूमि है ब्लॉक (ए) का कुल किता/खसरे 225 कुल क्षेत्रफल 56.2940 हैक्टेयर व ब्लॉक (बी) का कुल किता/खसरे 50 कुल क्षेत्रफल 12.6500 हैक्टेयर ब्लॉक (ए) व (बी) का कुल किता/खसरे 275 कुल क्षेत्रफल 68.9440 हैक्टेयर है जिसे विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 7 में दर्शाया गया है।

श्यामलाल,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
घड़साना।

राकेश दुलार,
उप वन संरक्षक
श्रीगंगानगर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।